

जी. ए. सिंघानिया, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
भवन निर्माण अनुज्ञा



प्रकरण पंजीयन क्रमांक :- 98 दिनांक 14/10/2015 Online Proposal No 3578 अनुज्ञा क्रमांक :- 242 दिनांक 24/11/15

यह भवन अनुज्ञा मेसर्स सिंघानिया बिल्डकान प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर श्री सुबोध सिंघानिया S/O श्री श्यामलाल सिंघानिया (Kh No.- 563/1, 565, 567, 570, 571, 572, 581/21, 592, 593, 594, 595, 596/3, 596/4 P.H.N.-103/34 रिंग रोड नं.-2 हर्षित लैण्ड मार्क हीरापुर वार्ड, रायपुर) को संलग्न मानचित्र दर्शाये गये अनुसार निर्माण कार्य के संबंध में प्रदान की जाती है।

निर्माण कार्य की विशिष्टियां :-

1. आवेदन के साथ प्रस्तुत मानचित्र पर, एवं इस ज्ञापन में अंकित शर्तों के अनुसार।
2. यह भवन अनुज्ञा, निम्नलिखित निबंधन तथा शर्तों के अधीन मंजूर की जाती है।
  - ❖ यह अनुज्ञा एक वर्ष के भीतर प्रारंभ होने की दशा में निर्माण पूर्ण करने हेतु अनुज्ञा जारी दिनांक से दो वर्ष तक मान्य रहेगा। यदि अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर पूर्ण न करने की स्थिति में ग्यारहवें महीने में नवीनीकरण हेतु आवेदन देना अनिवार्य होगा।
  - ❖ यह निर्माण अनुज्ञा दिनांक 25/10/2016 तक प्रभावशील रहेगी।
  - ❖ यदि आवश्यकता हो तो नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 25/09/2016 के पूर्व प्रस्तुत किया जावेगा।
  - ❖ इस भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निहित फीस 476680.00 रुपये रसीद क्रमांक 58/23 दिनांक 14/10/2015
  - ❖ सड़क बाधा शुल्क 417000.00 रुपये रसीद क्रमांक 92/94 दिनांक 20/11/2015
  - ❖ विकास शुल्क X रुपये रसीद क्रमांक X दिनांक X
  - ❖ रेनवाटर हार्वेस्टिंग शुल्क 814000.00 रुपये F.D.R. No. 225872 Date 19/11/2015 Bank Of Baroda के द्वारा सम्यक रूप से जमा कर दी गई है।

प्रस्तुत किये गये मानचित्र तथा नगर निवेशक नगर पालिक निगम रायपुर के आदेश दिनांक 26/10/2015 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर भवन निर्माण की अनुमति दी जाती है।

1. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निगम को सूचना दें।
2. निर्माण स्थल पर निर्माण अबाधे में स्वीकृत मानचित्र व भवन निर्माण अनुज्ञा की छायाप्रति रखना अनिवार्य है।
3. निर्माण कार्य भिन्न चरणों पर निरीक्षण करायें।

(अ) स्थित लेवल पर (ब) रिटर्न लेवल पर (स) प्रत्येक तल के पूर्ण होने पर।

4. भूखण्ड सामने मध्य रेखा सड़क से दक्षिण में 33.50 मी. में छोड़कर मान्य होगी।
5. सेट बैकस छोड़े मानचित्रानुसार
6. (Block 1) भू-तल पर 291.56 वर्ग मी. व्यावसायिक 2603.00 वर्ग मी. स्टील्ड पार्किंग, प्रथम तल 291.56 वर्ग मी. व्यावसायिक 291.56 वर्ग मी. आवासीय फ्लैट, द्वितीय तल पर 291.56 वर्ग मी. व्यावसायिक 291.56 वर्ग मी. आवासीय फ्लैट, एवं तृतीय तल पर 291.56 वर्ग मी. व्यावसायिक 291.56 वर्ग मी. आवासीय फ्लैट,  
(Block 1) के चतुर्थ तल से नवम तल तक प्रत्येक तल पर 583.13 वर्ग मी. आवासीय फ्लैट  
Block 2 to 6 के भूतल पर स्टील्ड पार्किंग व पौडियम एवं Block 2 के प्रथम तल से पंचम तल प्रत्येक तल पर 356.92 वर्ग मी. एवं षष्ठम तल पर 388.75 वर्ग मी. एवं सप्तम तल से दशम तल प्रत्येक तल पर 356.92 वर्ग मी. आवासीय फ्लैट  
Block 3 के भूतल पर स्टील्ड पार्किंग व पौडियम एवं प्रथम तल से नवम तल प्रत्येक तल पर 400.22 वर्ग मी. एवं दशम तल पर 392.02 वर्ग मी. आवासीय फ्लैट  
Block 4 to 7 के भूतल पर स्टील्ड पार्किंग व पौडियम, एवं Block 4 के प्रथम तल से दशम तल प्रत्येक तल पर 719.92 वर्ग मी., Block 5 के प्रथम तल से दशम तल प्रत्येक तल पर 352.00 वर्ग मी., Block 6 के प्रथम तल से दशम तल प्रत्येक तल पर 400.22 वर्ग मी., Block 7 के प्रथम तल से दशम तल प्रत्येक तल पर 400.22 वर्ग मी. आवासीय फ्लैट  
भू-तल पर सुविधा जनक दुकाने 27.00 वर्ग मी. आवासीय (फ्लैट्स) उपयोग सुविधा जनक दुकाने व व्यावसायिक कार्यालय भवन निर्माण की अनुमति दी जाती है।


नोट - मानचित्रानुसार ब्लाक 1 को जी, ब्लाक 2 को एफ, ब्लाक 3 को ई, ब्लाक 4 को डी, ब्लाक 5 को सी, ब्लाक 6 को बी, एवं ब्लाक 7 को ए समझा जावे।

7. कर्शा क्षेत्र 1.75 गुना से अधिक न हो।
8. भवन पूर्णता प्रमाण पत्र बिना भवनों का उपयोग न करें व स्वतः के भूखंड से बाहर छज्जा एवं बाल्कनी प्रोजेक्शन न निकालें।

For, Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

Director





आपका  
नाम पालिका निगम  
नगर निदेशक

आपका  
नाम पालिका निगम  
नगर निदेशक

- (1) वास्तविक नगर पालिका निगम वास्तविक (उ.म.) (निकासी/विकास)
- (2) वास्तविक नगर पालिका निगम वास्तविक (उ.म.) (निकासी/विकास)
- (3) वास्तविक नगर पालिका निगम वास्तविक (उ.म.) (निकासी/विकास)

प्रतिनिधि :-

9. गांव पानी निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना होगा।
10. अगुआ की शर्तों का उद्घाटन होने के बाद, किसी अन्य उपाय के माध्यम से पानी स्वच्छता विभाग की स्थिति में यह अगुआ स्थिति की शर्तों को, जिसके लिए आवश्यक स्तर: उत्तरदायी होगा।
11. उ.म. गाँव विकास निगम 1994 के नियम 64 के अनुसार प्रति 100 वर्ग मी. के क्षेत्र में 01 वृक्ष की दर से वृक्षारोपण किया जावे।
12. सीवर वाईन होने की स्थिति में इससे कठोरता से निगाह रखनी अनिवार्य होगी।
13. उक्त निगम आवासीय (पब्लिक/व्यवसाय) सुविधा जनक एकल व व्यावसायिक कार्यालय रहेगा।
14. प्रस्तावित सड़क चौड़ाई में आने वाले भाग को प्राथमिक रूप से सड़क के लेबल, इसमें कोई निगम वृक्षारोपण अथवा सड़क चौड़ाई विभाग न करे।
15. रेनवाटर इंस्टॉलेशन की व्यवस्था उ.म. गाँव विकास निगम 1984 के नियम 78 के अनुसार निगम के 1 माह के भीतर सुनिश्चित करना होगा।
16. सीटिक टैंक निगम परमाणु परमाणु के ऊपर मध्य स्तरीय जमीन अर्थात् आवंटित है।
17. वास्तविक विकास नगर नगर निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय वास्तविक उ.म. का फा. क्र. 10627/निकासी/विकास-96/14/2015 वास्तविक दिनांक 23.07.2014 की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. गाँव विकास व्यवस्था उ.म. गाँव विकास निगम 1984 के नियम 83 एवं योजना विभाग को के माह के अनुसार करना आवश्यक होगा तथा गाँव के अधिभोग के पूर्व गाँव विकास निगम को अनिवार्य रूप से आवंटित करना आवश्यक होगा।